परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु जनपद स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेम्निटी उपसमिति की बैठक दिनांकः 04 जनवरी 2017

कार्यवृत्त,
जनपद–चित्रकूट

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, परिवार नियोजन इन्डेम्निटी उपसमिति चित्रकूट श्रीमती मोनिका रानी,आई0ए0एस0 की अध्यक्षता मे परिवार नियोजन इन्डेम्निटी उपसमिति की बैठक दिनांक 04.01.2017 को जिलाधिकारी कैम्पकार्यालय मे अपरान्ह 05:30 बजे आहूत की गयी। बैठक मे समिति मे नामित अन्य सदस्य डा0 रामजी पाण्डेय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 एस0एन0मिश्रा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसीएच, डा0 आर0के0 चौरिहा स्त्रीरोग विशेषज्ञ/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवार कल्याण,डा0 दीपेन्द्र सिंह जनरल सर्जन संयुक्त जिला चिकित्सालय चित्रकूट उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदया की अनुमति से सदस्य सचिव डा0 एस0एन0 मिश्रा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसीएच द्वारा एजेन्डा पर बिन्दुवार चर्चा की गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

1. मृतक श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री बलवीर निवासी ग्राम नादिन कुर्मियान,राजापुर जनपद चित्रकूट की नसबन्दी प्रकिया के दैरान दिनांक 17.11.2016 को मृत्यु हो गयी जिसका क्षतिपूर्ति दावा प्रपत्र दिनांक 18.11.2016 को प्रस्तुत किया गया। दावा प्रपत्र के अन्तर्गत समिति द्वारा समस्त संलग्न प्रपत्रो का अवलोकन किया गया तथा दावा प्रपत्र के अर्न्तगत रू0 200000.00 (दो लाख मात्र) को स्वीकृत प्राप्त करने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी तथा अध्यक्ष महोदया द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य मुख्यालय प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

2. श्रीमती सविता पत्नी श्री लवकुश निवासी ग्राम गण्डौर पोस्ट मऊ जनपद चित्रकूट जिसकी नसबन्दी 13.02.2012 को हुयी थी ने 31.07.2015 को असफल नसबन्दी क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिसपर समिति द्वारा चर्चा की गयी तथा क्षतिपूर्ति रू0 30000.00(रू0 तीस हजार मात्र) प्रदान किये जाने हेतु दावा प्रपत्र को समस्त निर्धारित संलग्नको के साथ राज्य मुख्यालय प्रेषित किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

3. श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री रामनारायण निवासी ग्राम अरछा बरेठी, पोस्ट औदहा ब्लाक पहाडी, जनपद चित्रकूट जिसकी नसबन्दी 01.02.2013 को हुयी थी ने 09.09.2016 को असफल नसबन्दी क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिसपर समिति द्वारा चर्चा की गयी तथा क्षतिपूर्ति रू0 30000.00(रू0 तीस हजार मात्र) प्रदान किये जाने हेतु दावा प्रपत्र को समस्त निर्धारित संलग्नको के साथ राज्य मुख्यालय प्रेषित किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

अन्त मे अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक कार्यवाही समाप्त की गयी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्रकूट द्वारा सदन से उपस्थित समस्त सम्मानित सदसयों का आभार व्यक्त किया गया ।

अनुमोदित/अवलोकित

(डा0 रामजी पाण्डेय)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक,
परिवार नियोजन इन्डेम्निटी
उपसमिति चित्रकूट

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
परिवार नियोजन इन्डेम्निटी
उपसमिति चित्रकूट

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,चित्रकूट

पत्रांकःमु0चि0अ0/प0क0/इन्डेम्निटी बैठक/2016–17/145 दिनांकः 10/1/2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, एसपीएमयू, एनएचएम, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, परिवार नियोजन इन्डेम्निटी उपसमिति चित्रकूट।
5. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
7. समस्त सदस्यगण परिवार नियोजन इन्डेम्निटी उपसमिति चित्रकूट।

(डा0 राम जी पाण्डेय)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चित्रकूट